हुक्म या कार्यवाही मय इनिशिवल्स जज	नम्बर व ता. अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित मोहम्मद हुसैन द्वारा आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दीवानी पेश किया जो शा.फा. है पत्रावली वास्ते जवाब प्राप्त दिनांक 10-8-18 को पेश हो।

10-8-18 पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित पत्रावली वास्ते जवाब प्रा. पत्र दिनांक 21-8-18 को पेश हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

21.8.18 आज पत्रावली पेश हुई। वकील वादी ने परिवर्तित शजरा वाद पत्र में बनाकर खसरा नं0 164 में दर्ज रकबा 2.39 हे0 वाके ग्राम जेतली तहसील मांगरोल की आराजी में अपना नाम बतौर खातेदार कृषक दर्ज करने की प्रार्थना न्यायालय से की है वर्तमान में जमाबंदी में खातेदार के रूप में "चाकरी दरगाह c/o राजस्थान वक्फ बोर्ड जयपुर का नाम अंकित है अर्थात खातेदार राजस्थान वक्फ बोर्ड जयपुर है।

एक प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 CPC प्रार्थी मोहम्मद हुसैन पुत्र नजर अली मुसलमान नि0 मांगरोल ने पेश करके वाद में पक्षकार बनाने की प्रार्थना की है।

प्रतिवादी क्रम 3 तहसीलदार मांगरोल ने जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद पत्र की अभिकथन अस्वीकार कर विशेष कथनों में कथन किया कि रेकॉर्ड जमाबंदी में खातेदार राजस्थान वक्फ बोर्ड जयपुर अंकित

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशिवल्स जज
	न्यायालय द्वारा सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है अतः वाद लौटाये करने की प्रार्थना की।
	वादी द्वारा आदेश 7 नियम 10 CPC का जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी मोहनलाल [illegible] ने सभी तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया है, तथा राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश को जमाबंदी में गलत दर्ज कराया है, राज० उच्च न्यायालय में रिट अन्य व्यक्ति की रिट है, इस वाद से कोई सम्बन्ध नहीं है।
	पत्रावली का अवलोकन करने व राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी [illegible] 164 / [illegible] तहसील मांगरोल में दर्ज भूमि चारागाह है ○/○ राजस्थान वक्फ बोर्ड जयपुर के नाम दर्ज है। हाल जमाबंदी में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के आदेश दि. 22-7-2005 का अग्रिम आदेश तक रेकार्ड व मौका स्थिति यथावत बनाये रखने का नोट दर्ज किया है।
	ऐसी स्थिति में इस न्यायालय को वाद का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। वक्फ से सम्बंधित प्रकरण [illegible] अधिकारी वक्फ बोर्ड जयपुर द्वारा ही सुने जाते है जैसा कि वक्फ अधिनियम की धारा 54 की व्यवस्था है। तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड रेकर्ड) के [illegible]

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशिवल्स जज	नम्बर व ता. अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
पर भी न्यायालय प्रकरण का निस्तारण नहीं कर सकता है। राजस्व सहायक राजस्व (कमांक) निम्बाजनपुर दि. 3.7.2008 के अनुसार भी इस न्यायालय को वाद का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। उपरोक्त समस्त परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए चूंकि न्यायालय वाद को क्षेत्राधिकार न होने से वाद को खारिज करना न्यायोचित समझता है तथा प्रा. पत्र मो० 3 दीन अन्तर्गत आदेश। नियम 10 CPC को भी खारिज करना न्यायोचित समझता है। अत: आदेश दिया जाता है कि वाद वादी अन्तर्गत धारा 88, 89, 90 91, 92/88 R.T. Act खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील आदिल दाखिल होवे। निर्णय सरे इजलास सुनाया।	

के पूर्वज आराम शाह विराजमान है। वादी उक्त मजार पर सेवा चाकरी, चिरागबत्ती, फातिहा, साफ सफाई आदि का कार्य मुत्तवल्ली की हैसियत से वर्तमान में कर रहा है। वादी के पूर्व वादी के पिता दरगाह आराम शाह की सेवा चाकरी मुत्तवल्ली की हैसियत से करते चले आ रहे थे।